न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म व कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	[illegible] 21-7-26 / 2022
29-3-22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] अधिकार [illegible] [illegible] 30-3-22 (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
30.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 28.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
28.04.2022	पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 28/04/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 16:37:42
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
26 / 2020	2020 / 203	06.10.2020	28.04.2022

उनवान प्रकरण

1. रामुराम पुत्र नारायण जाति जाट आयु 90 साल निवासी ढ़ाणी डेरा राम सागर हाल वार्ड नम्बर –3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थित:–

श्री दिलीप कुमार मंगावा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 960, 965, 966, 968, 969, 974 / 1, 975, 976 कुल किता –9 कुल रकबा 6.0100 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested

28/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में अवस्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में खातेदारी **"रामुराम पुत्र नारायण हिस्सा – 10977/120200 जाति जाट सा. देह खातेदार" एंव "सागर पुत्र नारायण हिस्सा –1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार"** गलत रूप से दर्ज की गई है जो राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण त्रुटीवश गलत रूप से दर्ज हुयी है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 960, 965, 966, 968, 969, 974/1, 975, 976, 977 कुल किता –9 कुल रकबा 6.0100 हैक्टर की जमाबंदी संवत 2066 में खातेदारी ——————"हणमान माली राम पि. जोधाराम जाति जाट हि. 1/4 **ढाणी डेराराम सागर** रामुराम पुत्र नारायण हि. 1/4 फूलसिंह पुत्र भूराराम हि. 2/3 व श्यामाराम पुत्र भूराराम हि. 1/3 दर हि. 1/4 जगूराम भूराराम पि. लिक्षमण हि. ब 1/8 खेतसिंह पृथ्वीसिंह बहादुर सिंह पि. भूराराम हि. 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन खेत सिंह पुत्र भूराराम का हि.1/24 R.G.B शाखा श्रीमाधोपुर मुर्तहीन व भगूराम पुत्र लिक्षमण का हि. 1/16 S.K.S.B शाखा श्रीमाधोपुर मुर्तहीन दर्ज थी" **जिसमें प्रार्थी के नाम खातेदारी** रामुराम पुत्र नारायण हि. 1/4 **दर्ज है। यहां यह उल्लेखनीय है कि** जमाबंदी संवत 2066 में नोट: ना.सं. 1377 दिनांक 14–09–12 के आधार पर कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 960, 965, 966, 968, 969, 974/1, 975, 976, 977 कुल किता –9 कुल रकबा 6.0100 हैक्टर में **प्रार्थी के नाम खातेदारी रामूराम पुत्र नारायण** हि. 10977/15025 दर हि0 1/4 सही रूप से दर्ज है एवं जमाबंदी संवत 2070– 2073 में भी प्रार्थी के नाम **खातेदारी रामूराम पुत्र नारायण हि. 10977/15025 दर हि0 1/4** सही रूप से दर्ज है। जिसके अनुसार कृर्षि भूमि उक्त वर्णित के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074 –2077 में खातेदारी में प्रार्थी के नाम हि. 10977/60100 दर्ज होना चाहिए था **परन्तु यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि** कृर्षि भूमि उक्त वर्णित खसरा संख्या नम्बर [illegible] 968, 974/1, 975, 976, 977, 960, 964, 969 कुल किता –10 कुल [illegible] जमाबंदी संवत 2066 में दर्ज खातेदारी में **प्रार्थी के नाम** रामूराम से पहले राजस्व रि[illegible]ई जमाबंदी में हणमान मालीराम पि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dili[illegible] Singh
Date: 2022.05.10 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested

20/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जोधाराम जाति जाट हि. 1/4 ढाणी डेरा राम सागर दर्ज है। जिसको राजस्व कर्मचारियो की गफलत एंव लापरवाही के कारण त्रुटिवश प्रार्थी रामूराम का भाई सागर कतई गलत रूप से मानकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074 –2077 में गलत रूप से खातेदारी " सागर पुत्र नारायण हिस्सा –1/8 जाति जाट सा.देह खातेदार " दर्ज कर दी गयी है, जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नही है। इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में "रामूराम पुत्र नारायण हिस्सा – 10977/ 120200 जाति जाट सा. देह खातेदार " एंव "सागर पुत्र नारायण हिस्सा –1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार " के स्थान पर "रामूराम पुत्र नारायण हिस्सा –10977 / 60100 जाति जाट सा. देह खातेदार" दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती बाबत पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से निवेदन किया तो अदालत में प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत आदेश लाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 960, 965, 966, 968, 969, 974/1, 975, 976, 977 कुल किता –9 रकबा 6.0100 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में " रामूराम पुत्र नारायण हिस्सा –10977/120200 जाति जाट सा. देह खातेदार " एवं " सागर पुत्र नारायण हिस्सा –1/8 जाति जाट सा. खातेदार" के स्थान पर "रामूराम पुत्र नारायण हिस्सा –10977/60100 जाति जाट सा. देह खातेदार " दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के त[illegible] किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आ[illegible]पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 26/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 418/भू.अ./2022 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :-

जमाबंदी ग्राम श्रीमाधोपुर संवत 2066-69 के खाता संख्या 585 के मुताबिक ख.न 960, 965, 966, 968, 969, 974/1, 975, 976, 977 किता -9 रकबा 6.01 हैक्टर में प्रार्थी रामूराम पुत्र नारायण का 1/4 हि. (1.5025 है.) दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी रामुराम पुत्र नारायण द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर में अपने हिस्से की 1/4 भूमि (1.5025 है.) में से 0.4048 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.09.2012 पु.स-1 जि.स -499 पृ. स -146 क्रम संख्या 2012005168 के द्वारा रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाति जाट नि. बासडी तह. श्रीमाधोपुर को विक्रय कर दी व विक्रय के पश्चात रामूराम पुत्र नारायण की खातेदारी में 1.0977 है. भूमि शेष रही। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरण संख्या 1377 से रिकोर्ड में अमल दरामद हुआ व संवत 2066 से 69 के खाता संख्या 585 पर नामान्तकरण का नोट अकिंत है। सेग्रीगेशन के दोरान उक्त खाता स. (संवत 2066-69) 585 की प्रविष्टि हणमान, मालीराम पि. जोधाराम जाति जाट हि. 1/4 ढाणी डेरा राम सागर, रामूराम पुत्र नारायण हि. 1/4 शेष बदस्तुर में हणमान मालीराम के निवास स्थान ढाणी डेरा राम सागर के सागर शब्द को सहखातेदार मानते हुए सागर पुत्र नारायण का हि.1/8 दर्ज हो गया जबकि सागर सह खातेदार न होकर निवास स्थान "ढाणी डेरा राम सागर "का हिस्सा है । सागर नाम का कोई खातेदार उक्त खाते में नहीं है। सेग्रीगेशन जमाबंदी संवत 2074-77 खाता सं. 698 में रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मण का हिस्सा 506/15025 (0.2024 है0) दर्ज है जबकि रामचन्द्र का हिस्सा 4048/60100 (0.4048 है0) होना चाहिए था व रामूराम पुत्र नारायण का हि0 10997/120200 (0.54885 है0) दर्ज है जबकि रामूराम का हिस्सा 6577/60100 (1.0977 है0) दर्ज होना चाहिए था। सागर पुत्र नारायण का हि0 1/8 दर्ज है, सागर नाम का कोई खातेदार न होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested

28/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

निवास स्थान (डेरा राम सागर) स्थान के पते का हिस्सा है। उपरोक्त बिन्दुओं के मध्यनजर मुताबिक जमाबंदी संवत 2066–69 ग्राम श्रीमाधोपुर, विक्रय लेख दिनांक 11.09.12 व नामान्तकरण संख्या 1377 के सेग्रीगेशन जमाबंदी ग्राम श्रीमाधोपुर संवत 2074–77 के खाता संख्या 698 किता –9 तादादी 6.01 है में, सागर पुत्र नारायण हि0 1/8 (0.75125 है0) को हजफ किया जाकर उक्त 1/8 हिस्सा अर्थात 0.75125 है0 भूमि में से 0.54855 है0 भूमि रामूराम पुत्र नारायण व 0.2024 है0 भूमि रामचन्द्र पुत्र लक्षमण के हिस्से में समाहित किया जाना उचित होने बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अभिशषां की गई हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने इसके साथ ही यह भी अवगत कराया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मु.न 95/2017 श्रवण कुमार बनाम हणमान उर्फ हनुमान वगै में आदेश दिनांक 03.08.2017 के द्वारा ग्राम श्रीमाधोपुर आराजी ख.न 960, 965, 968, 969, 974/1, 975, 976, 977 कुल किता 9 रकबा 6.01 है0 में हणमान उर्फ हनुमान पुत्र जोधाराम के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने, स्थानांतरण ना करने एंव अप्रार्थिगण वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू– भाग पर निर्माण नहीं करने व बेचान नहीं करने के अर्न्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया गया है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 960, 965, 966, 968, 969, 974/1, 975, 976, 977 किता –9 रकबा 6.0100 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में प्रार्थी रामूराम पुत्र नारायण का 1/4 हिस्सा के नाम से पूर्व हणमान, मालीराम पिता जोधाराम जाति जाट हिस्सा 1/4 ढ़ाणी डेराराम सागर दर्ज रिकार्ड है। जिसको राजस्व कर्मचारियों ने सागर को रामूराम का भाई मानकर सागर पुत्र नारायण के नाम हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड कर दिया जाना प्रकट होता है। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। सागर नाम का कोई खातेदार न होकर निवास स्थान (डेरा राम सागर) स्थान के पते का हिस्सा होना प्रतित होता है। सेग्रीगेशन जमाबंदी संवत 2074–77 खाता सं. 698 में रामचन्द्र पुत्र लक्षमण का हिस्सा 506/15025 (0.2024 है0) दर्ज है जबकि रामचन्द्र का हिस्सा 4048/60100 (0.4048 है0) होना व रामूराम पुत्र नारायण का हि0 10997/120200 (0.54885 है0) दर्ज है जबकि रामूराम का हिस्सा 10977/60100 (1.0977 है0) दर्ज होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकट होता है। जमाबंदी ग्राम श्रीमाधोपुर संवत 2074–77 के खाता संख्या 698 किता –9 तादादी 6.01 है में, सागर पुत्र नारायण हि0 1/8 (0.75125 है0) को हजफ किया जाकर उक्त 1/8 हिस्सा अर्थात 0.75125 है0 भूमि में से 0.54855 है0 भूमि रामूराम पुत्र नारायण व 0.2024 है0 भूमि रामचन्द्र पुत्र लक्षमण के हिस्से में समाहित किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की जाने पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 19[illegible] को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि [illegible] नम्बर 960, 965, 966, 968, 969, 974/1, 975, 976, 977 किता –9 रकबा 6.0100 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested

28/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में रामूराम पुत्र नारायण का हि0 10997/120200 जाति जाट सा. देह खातेदार एंव सागर पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार के स्थान पर सागर पुत्र नारायण हि0 1/8 (0.75125 हैक्टर) का नाम हजफ किया जाकर उक्त 1/8 हिस्सा अर्थात 0.75125 हैक्टर भूमि में से 0.54855 हैक्टर भूमि रामूराम पुत्र नारायण के नाम व 0.2024 हैक्टर भूमि रामचन्द्र पुत्र लक्षमण के हिस्से में समाहित किये जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested